— —

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/17/2026 दायर दिनांक 18.02.2026 रजि0 न0 2025/33

अपीलार्थीः–	प्रत्यर्थीः–
श्री हरद्वारी लाल, नि. ई–30 भू–तल, प्रीत विहार, दिल्ली–110092	लोक सूचना अधिकारी एवं सचिव नगर विकास न्यास, जिला अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 24.03.2026

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया ।
3. अपीलार्थी ने इस कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन दिनांक 29.12.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 23.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा प्रत्यर्थी द्वारा जवाब अपील पत्रांक क्रमांक/अतिक्रमण/2026/13637 दिनांक 10.03.2026 के माध्यम से अपीलार्थी को अवगत कराते हुए प्रतिलिपि इस न्यायालय को भिजवाई गई है जिसमें अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना बिन्दूवार भिजवाई गई है।
6. प्रत्यर्थी का जवाब एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दूवार सूचना अपूर्ण एवं अस्पष्ट है। चूंकि जवाब में प्रति संलग्न होना अवगत कराया है परन्तु जवाब के साथ नोटिस/जवाब संलग्न नहीं किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में अपीलार्थी को 15 दिवस में पंजीकृत निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराई जावे एवं भविष्य में उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाले सभी आवेदन पत्रों का समयावधि में सूचना उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करावें। उभय पक्ष को निर्णय की प्रमाणित प्रति भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 24.03.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्राकिंत किया गया ।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर